



राष्ट्रदूत

Rashtradoot

Metro

Heroes reporting from the Conflict Zones

The landscape of war journalism has altered. Over 1,000 journalists have been killed in action since 1961.

Gut Bacteria Affect Brain Health

Beautiful Coffee Shops in India

Scrumptious dishes and delightful brews

राहुल गांधी ने सार्वजनिक मंच से दिग्विजय सिंह की टिप्पणी को गलत बताया

पर, राहुल गांधी ने साथ में यह भी कहा कि, कांग्रेस में आपसी बातचीत से पार्टी के विचार तय होते हैं, भाजपा व संघ की तरह ऊपर से नहीं थोपे जाते

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 24 जनवरी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि वे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के "बयान" से पूरी तरह असहमत हैं। ज्ञातव्य है कि पूरी "भारत जोड़ो यात्रा" में गांधी के साथ रहे दिग्विजय सिंह ने 2019 की सर्विकल स्ट्राइक पर एक अनौपचारिक टिप्पणी की थी। जम्मू के झंझर कोटली कस्बे में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि दिग्विजय का संदर्भित बयान उनका निजी बयान है। कांग्रेस इसे खारिज करती है क्योंकि "हम अपनी भारतीय सेना का सम्मान करते हैं तथा हम सेना द्वारा किये गये किसी कार्य का साक्ष्य या सबूत नहीं माँगते क्योंकि हमें अपनी सेना पर गर्व है।"

उन्होंने कहा, "जब पार्टी में बातचीत होती है तो, सब तरह के विचार व मत व्यक्त किये जाते हैं, कुछ विचार गलत और चुभने वाले होते हैं, जैसा दिग्विजय सिंह के प्रकरण में हुआ, पर, उन्हें बात करने का पूरा हक व अवसर मिलता है। पार्टी उनके विचारों से कतई सहमति नहीं रखती, पर डरा-धमका कर उनको चुप नहीं कराया जाता।"

राहुल गांधी ने यह भी स्पष्ट किया कि, पार्टी दिग्विजय सिंह के विचारों से नाइतफाकी रखती है, कांग्रेस पार्टी सेना की बहुत इज्जत करती है तथा अपनी कार्यवाही के लिये सेना को प्रमाण देने की कोई जरूरत नहीं है।

राहुल गांधी ने जोर देकर दोहराया कि, पार्टी में जब बातचीत होती है, कई अतिवादी व हास्यप्रद बातें भी कही जाती हैं, जैसा कि, दिग्विजय सिंह की टिप्पणी में साफ जाहिर हो रहा है। मुझे खेद है कि, पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के बारे में यह कहना पड़ा है।

रूप से अच्छी तरह करती हैं ताकि उन्हें किसी भी कार्य के लिये सबूत देने की जरूरत नहीं होती।"

दिग्विजय सिंह ने भी इस विवाद को समाप्त करने की कोशिश करते हुये कहा, "मेरे मन में अपने सुरक्षा बलों के लिये अपार सम्मान है।"

राहुल गांधी ने कहा, "हमारी पार्टी की संस्कृति है कि हम विचार-विनिमय एवं बातचीत को छूट देते हैं तथा कभी-कभी जब बातचीत होती है तो अतिवादी विचारों वाले लोग भी अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार हम बातचीत का माहौल देते हैं। भाजपा और आर.एस.एस. में संवाद नहीं होता। वे बस निर्णय लेते हैं कि ऐसा होगा तथा इसके बाद कोई व्यक्ति उस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। यह सब नोटबंदी की तरह होता है। प्रधानमंत्री एक सुबह उठते हैं तथा कहते हैं कि हम नोटबंदी कर रहे हैं या फिर सब कुछ जी.एस.टी. की तरह होता है, जिसके फलस्वरूप देश की रीढ़ पूरी तरह तोड़ दी जाती है क्योंकि आप संवाद नहीं करते।"

एक प्रश्न के उत्तर में राहुल ने कहा: "हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं, तानाशाह नहीं। हम अपनी पार्टी को दबाव या जबरदस्ती के सिद्धांतों पर नहीं चलते, पार्टी के विचार दिग्विजय सिंह

के विचार से ऊपर हैं। पार्टी के विचार पार्टी के अन्दर होने वाली चर्चाओं से उद्भूत होते हैं।"

उन्होंने और व्याख्या करते हुये

कहा कि दिग्विजय सिंह के विचार पार्टी के विचार नहीं हैं। "हम इस बात को लेकर पूरी तरह से सुस्पष्ट हैं कि सशस्त्र सेनाएं किसी भी काम को असाधारण

www.hdfc.com

एचडीएफसी होम लोन्स

@8.65%

प्रति वर्ष

800 व अधिक के क्रेडिट स्कोर के लिए#

हमें यहां मिसड कॉल करें
09289 120 120

डिसक्लेमर : **सभी ऋण एचडीएफसी लि., के स्व-निर्णय पर हैं. नियम और शर्तों की पूरी जानकारी के लिए www.hdfc.com पर विज़िट करें. CIN: L70100MH1977PLC019916.

होम लोन के लिए स्कैन करें

रिजिजू ने भारी आपत्ति जताई सुप्रीम कोर्ट द्वारा जज विशेष की नियुक्ति पर सरकारी आपत्ति को सार्वजनिक करने पर

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 24 जनवरी। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच चल रही लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए, केन्द्रीय विधि मंत्री किरन रिजिजू ने आज इस बात पर कड़ा एतराज जताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने उन उम्मीदवारों पर सरकार द्वारा की गई आपत्तियों को सार्वजनिक कर दिया जिनकी जज के पद पर नियुक्ति के लिये अभियंता की गई थी।

मिथिले सप्ताह, सर्वोच्च न्यायालय कोलौजियम, जिसके अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड़ हैं, ने सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर तीन उम्मीदवार की जज के रूप में पदोन्नति पर सरकार द्वारा की गई आपत्तियों के साथ ही, उन आपत्तियों से संबंधित अपने जवाब भी प्रकाशित कर दिये थे।

बीडी अजीबो गरीब बात है कि जहाँ एक तरफ मोदी सरकार भरसक कोशिश कर रही है कि उच्चतर अदालतों में जजों की नियुक्तियों के मामले में कार्यपालिका की ही चले तथा इसके पीछे सरकार की दलील है कि कोलौजियम व्यवस्था की पूरी प्रक्रिया

जजों का जवाब है, एक तरफ तो विधि मंत्री सुप्रीम कोर्ट की जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर, पारदर्शी न होने का आरोप लगाते हैं, दूसरी ओर जब जज पारदर्शी होने का प्रयास करते हैं, विधि मंत्री को सुप्रीम कोर्ट के पारदर्शिता अपनाने के प्रयास पर भारी आपत्ति है।

सरकार द्वारा तीन जजों की नियुक्ति के खिलाफ रॉ व आई.बी. के हवाले से जतायी गई आपत्ति को सार्वजनिक करें या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट के जजों में चार दिन तक मंथन चला, सरकार की आपत्तियों को सार्वजनिक किया जाये या नहीं, पर फिर सार्वजनिक करने का निर्णय लिया गया।

जजों के, इस रॉ व आई.बी. की राय को सार्वजनिक करने के कृत्य से सुरक्षा व गुप्तचर एजेंसियों में भारी हड़कम्प भी मचा। क्योंकि इन दोनों गुप्तचर एजेंसियों की रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाने से यह परम्परा स्थापित होगी कि, गुप्तचर एजेंसियों की रिपोर्ट कभी भी सुविधानुसार सार्वजनिक तौर पर उजागर की जा सकती है।

सरकार का तर्क है, इस कृत्य से गुप्तचर एजेंसियों का मनोबल टूटेगा और वे स्पष्ट रिपोर्ट देने से कतराएंगी।

बीच, सर्वोच्च न्यायालय की यह कदम बहुत साहसिक एवं अप्रत्याशित माना जायेगा कि उसने गुप्तचर एजेंसियों- द रिसर्च एंड एनेलेसिस विंग (आर.ए.डब्ल्यू.-रॉ) तथा इन्टेलीजेंस ब्यूरो (आई.बी.) द्वारा सरकार को दी गई जानकारीयों तथा सरकार की आपत्तियों को सार्वजनिक करना शुरू कर दिया है, किन्तु इस स्थिति में, सरकार भी न्यायपालिका एवं जजों के बारे में टिप्पणी करने में बहुत सावधान एवं सतर्क नहीं रही है।

सरकार की प्रतिक्रिया उस स्थिति में कहीं बहुत ज्यादा विश्वसनीय होती, अगर वह अपने तौर-तरीकों और उद्देश्यों में पारदर्शी रही होती। यह बा मोदी सरकार की हठधर्मिता तथा न्यायपालिका को वश में रखने के अपने उद्देश्य की पूर्ति की निरन्तर कोशिश की पृष्ठभूमि में जवाबदा सटीक बैठती है जो जजों की नियुक्ति में अपनी चलाना चाहती है। मोदी सरकार सत्ता में आने के पहले वर्ष में ही एक विधेयक ले आई थी तथा ऐसा कानून बनाना चाहती थी जिससे जजों की नियुक्ति में कार्यपालिका की निर्णायक भूमिका सुनिश्चित हो सके। यह विधेयक संसद में अगस्त 2014 में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दुर्गापुरा के सीडलिंग स्कूल को हाई कोर्ट का नोटिस

जयपुर, 24 जनवरी (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर की एक स्कूल की कक्षा 10 की छात्रा को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और उसे कक्षा में नहीं बैठाने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, डीईओ और सिडलिंग ग्रुप के निदेशक संदीप बख्शी सहित प्रिंसिपल आशु वधावा से जवाब मांगा है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश खुशी प्रधान की ओर से अपने पिता के जरिए दायर

छात्र संगठन बी.बी.सी. की डॉक्युमेंटरी की पूरे केरल में कई जगह सार्वजनिक स्क्रीनिंग करेंगे

दूसरी ओर केन्द्रीय सरकार ने बी.बी.सी. की डॉक्युमेंटरी को दिखाने व प्रसारण पर कानूनी रोक लगायी है

-लक्ष्मण वेंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 24 जनवरी। दक्षिण भारत में, भाजपा विपक्ष के उस अभियान में फँसकर रह गई जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा गुजरात दलों को लेकर चलाया जा रहा है। बी.बी.सी. की डॉक्युमेंटरी के प्रसारण पर रोक लगा दी है। यह तो तय है कि टकराव का मंच तैयार हो गया है तथा केरल भाजपा उस घोषणा के विरुद्ध पूरी ताकत से खड़ी हो गई है, जो सी.पी.आई. की विद्यार्थी शाखा- "स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया" तथा सी.पी.एम. समर्थित "डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया" से संबद्ध यूनियनों ने की है। घोषणा में कहा गया है कि वे विवादास्पद बी.बी.सी. डॉक्युमेंटरी को पर्दे पर देखेंगे, भले ही केन्द्रीय सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने उस पर रोक लगा दी हो।

भाजपा की केरल इकाई भी इस विवाद में कूदी। इकाई का कहना है, जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही प्र.मंत्री मोदी पर डॉक्युमेंटरी में लगाये गये आरोपों को खारिज कर चुकी है, तो, उन आरोपों को पुनः चर्चा में लाना उचित नहीं है, इससे उत्तेजना फैलेगी और शांति भंग हो सकती है।

डी.वाई.एफ.आई. तथा एस.एफ.आई. ने एक जैसे घोषणाएं की हैं कि वे पूरे केरल में इस बी.बी.सी. डॉक्युमेंटरी को सिनेमा हॉल में चलायेंगे।

यही बात के.पी.सी.सी. तथा इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रतिनिधियों की ओर से भी आ रही है। इन्होंने भी कहा है कि वे केन्द्र सरकार के निर्देशों की अवज्ञा करेंगे तथा डॉक्युमेंटरी को सिनेमा हॉलों में चलायेंगे। डी.वाई.एफ.आई. की तिरुवन्तपुरम शाखा ने कहा है कि वे इस शहर के पूजापुरा में चलायेंगे।

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यूथ कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष तथा विधायक शफी परम्बिल ने भी कहा कि उनकी इकाई भी इस डॉक्युमेंटरी को चलायेगी, जिसे भाजपा और केन्द्र सरकार बहुत ज्यादा आपत्तिजनक तथा झूठी कहानी को बयान करने वाली बताया है। भाजपा नेता इस बात का हवाला दे रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय

दिल्ली के मेयर का चुनाव फिर टला

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 24 जनवरी। मंगलवार को दूसरी बार दिल्ली मेयर का चुनाव, आप तथा भाजपा के बीच हंगामे के कारण स्थगित हो गया। गत वर्ष तीन नगरपालिकाओं के एकीकरण के बाद, दस वर्ष में पहली बार "सिंगल मेयर" का चुनाव होना था।

'हम चलते-चलते ही चल बसें'

कुछ इसी तरह दुनिया से अलविदा करना चाहते थे राजेन्द्र शेखर जिसका जिक्र उन्होंने अपनी एक किताब में भी किया था

■ आम आदमी पार्टी और भाजपा के पार्षदों के बीच हुए झगड़े की वजह से नगर निगम के मेयर का चुनाव स्थगित करना पड़ा।

-प्रकाश भण्डारी-
जयपुर, 24 जनवरी। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक और केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक रहे राजेन्द्र शेखर का मंगलवार को यहां सोनी अस्पताल में निधन हो गया। 88 वर्षीय राजेन्द्र शेखर जहां एक योग्य और निष्ठावान पुलिस अधिकारी थे, वहीं एक सफल लेखक भी थे और उन्होंने दो पुस्तकें अंग्रेजी और एक हिन्दी में लिखीं।


मूलतः भरतपुर के राज परिवार के राजगुरु से सम्बद्ध एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में जन्मे राजेन्द्र शेखर की शिक्षा दीक्षा अजमेर के मेयो कॉलेज और दिल्ली के प्रतिष्ठित सेन्ट स्टीफन्स कॉलेज में हुई। उनके पिता राजवाड़ों की समाप्ति के बाद राजकीय सेवा में आ गए थे। उन्होंने सेन्ट स्टीफन्स से ही अर्थशास्त्र में एम.ए. किया।

राजस्थान के पुलिस महानिदेशक और केन्द्र में सी.बी.आई. प्रमुख रहे राजेन्द्र शेखर अपनी नई सोच और निर्भीक कार्यशैली के लिए जाने जाते थे।

अपने काम में किसी भी प्रकार का राजनैतिक दखल उन्हें नागवार था।

राजेन्द्र शेखर के प्रयासों की बदौलत 1992 में राजस्थान पुलिस को सशस्त्र सेना की तरह अपना ध्वज मिला।

1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भी सीमा पर उन्होंने अपनी कार्यकुशलता का परिचय दिया।



स्वर्गीय राजेन्द्र शेखर

राजेन्द्र शेखर वर्ष 1957 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) अधिकारी थे। दिल्ली में अध्ययन के दौरान ही उनकी मित्रता शीला से हुई और दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। राजस्थान के कई जिलों में पुलिस अधीक्षक रहे राजेन्द्र शेखर 1972 में जयपुर के केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पुलिस अधीक्षक रहे और 1975 में सी.बी.आई. में पदोन्नत होकर उपमहानिरीक्षक बन कर दिल्ली चले गए। सन् 1965 के भारत-पाकिस्तान

युद्ध के दौरान उन्हें जैसलमेर और बाड़मेर में कार्य पर लगाया गया। उस समय सीमा पर उन्होंने युद्ध के दौरान अपनी कुशलता का परिचय दिया। यह वह समय था जबकि भारत-पाक के युद्ध के कारण बड़ी संख्या में पाकिस्तान विस्थापित हुए थे। राजेन्द्र शेखर और वैश्य समाज के परिवार थे अत्याचारों के कारण पाकिस्तान की सीमा पर कर जैसलमेर और बाड़मेर में बस गए थे। ऐसे लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में उन्होंने गहन भूमिका निभाई।

सी.बी.आई. में रहते हुए भ्रष्टाचार और हिंसक घटनाओं, जिसमें हत्या भी शामिल है, की उन्होंने गहन जांच की जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई। सी.बी.आई. में दिल्ली में रहते उन्होंने 14 वर्ष के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'पाँक्सो के लम्बित मुकदमों की मार्किंग होगी'

जयपुर, 24 जनवरी (का.सं.)। प्रदेश की पाँक्सो अदालतों में लंबित मुकदमों की समयवाधि की जानकारी अब उनकी फाइलों में लगे प्लैग से हो सकेगी। हाईकोर्ट प्रशासन ने मंगलवार को इस संबंध में गाइड लाइन जारी की

■ केस कितना पुराना है, इस आधार पर उसकी लाल, पीले या नारंगी रंग से प्लैग मार्किंग की जाएगी और केस फाइल पर इसकी लिखित जानकारी दी जाएगी।

हाईकोर्ट के जज एच.एच. ललित पाँक्सो केस कितने पुराने हैं उसकी पहचान केस फाइल में लगे तीन रंग यानि येलो, ऑरेंज व रेड प्लैग के जरिए होगी। पाँक्सो केस की पेंडिंग फाइल में इन तीन रंग के अलग-अलग प्लैग लगे होने से ही उसकी पहचान हो सकेगी कि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)